न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — **521/2018/प्रार्थना पत्र**	**तारीख दायर** **16.10.2018**	**तारीख फैसला** **14.12.2018**

उनवान

रामबक्ष पिता देवकरण गुर्जर निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थी

बनाम

1— रामदेव पिता लुम्बा गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां
2— रामदेव पिता मांगु गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां
3— गोपाल पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 56 आ0न0 518 रकबा 0.33 है0, आ0न0 1434/521 रकबा 0.09 है0, आ0न0 442 रकबा 0.05 है0, आ0न0 522 रकबा 0.17 है0 आराजी कुल किता 04 रकबा 0.64 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 3 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्व दिनांक 14.12.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के

अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बावड़ी पटवार मण्डल ईटड़िया खाता संख्या 56 आ0न0 518 रकबा 0.33 है0, आ0न0 1434/521 रकबा 0.09 है0, आ0न0 442 रकबा 0.05 है0, आ0न0 522 रकबा 0.17 है0 आराजी कुल किता 04 रकबा 0.64 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 3 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 56 आ0न0 518 रकबा 0.33 है0, आ0न0 1434/521 रकबा 0.09 है0, आ0न0 442 रकबा 0.05 है0, आ0न0 522 रकबा 0.17 है0 आराजी कुल किता 04 रकबा 0.64 है0 की प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा